

पूरवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन को मल्ली स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन को स्वीकृति दे दी है। पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूरवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन में केंद्रीय गृहमंत्री को इस संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

संगठन

- नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरवोत्तर परषिद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूरवोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
- इस संस्था में सभी आठ पूरवोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं।
- मंत्रिमंडल ने पूरवोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परषिद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- NEC राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है।
- यह परषिद अंतर-राज्यीय विषयों पर वसित वृद्धि-वर्धन के लिये मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर वृद्धि भी करेगी।
- NEC अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्यीय विषयों पर वृद्धि-वर्धन के लिये विभिन्न क्षेत्रीय परषिदों द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी।
- NEC के नए स्वरूप से यह पूरवोत्तर क्षेत्र के लिये कारगर संस्था बनेगी।
- परषिद समय-समय पर परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदिके लिये राज्यों के बीच समन्वय के लिये कारगर उपायों की सफ़ारिश करेगी।
- परषिद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

पृष्ठभूमि:

- NEC की स्थापना पूरवोत्तर परषिद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिये शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
- इसके सदस्य पूरवोत्तर भारत के आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, सikkिम और त्रिपुरा हैं।
- इसका मुख्यालय शिलॉन्ग में स्थित है और यह पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत आती है।
- 2002 के संशोधन के बाद NEC को पूरवोत्तर क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और NEC इस क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी।
- परषिद सikkिम के मामले में विशेष परियोजनाएँ और योजनाएँ बनाएगी।

पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- पूरवोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का दायित्व पूरवोत्तर क्षेत्र के विकास संबंधी परियोजनाओं के लिये योजना बनाने, उनका कार्यान्वयन और देख-रेख करना है।
- इसका दृष्टिकोण क्षेत्र के सामाजिक - आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है ताकि इसे देश के अन्य भागों में हो रहे विकास के समान लाभ मिल सकें।

